न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/13/2022	29–3–2022	29–08–2022

01– मामन पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांचोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 25.02.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 65/2022

उपस्थित–

01–श्री रामेश्वर दयाल –वकील अपीलाण्ट

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 25.02.2022 प्रकरण संख्या 65/2022 जिसके द्वारा फसल रबी सम्वत 2078 में अपीलान्ट को ग्राम साचोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 42.42 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से 1.25 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त किये जाने पर/पश्चातवर्ती अतिक्रमण के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का बासनी तहसील मुण्डावर द्वारा ग्राम साचोद की आराजी खसरा न0 192 रकबा 42.42 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से 1.25 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त किये जाने पर अतिक्रमी मामन पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी साचोद तहसील मुण्डावर के विरूद्व दिनाक 03.02.2022 को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। जिस पर प्रकरण संख्या 65/2022 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनाक 25.02.2022 को अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती आरोपित/बेदखल व 3 माह के सिविल कारावास से दण्दित करने का आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को जारी किया गया नोटिस की जानकारी नही हुई व बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है, अदालत मातहत ने बिना जॉच किये निर्णय पारित किया गया है, निर्णय छपे हुये फॉम पर पारित किया गया है, जो निर्णय की तारीफ में नही आता है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद में पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 42.42 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दूल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनाक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोक हित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/ बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को जारी किया गया नोटिस की जानकारी नही हुई व बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नही है, अदालत मातहत ने बिना जॉच किये निर्णय पारित किया गया है, निर्णय छपे हुये फॉम पर पारित किया गया है, जो निर्णय की तारीफ में नही आता है। पारित निर्णय दिनाक 25.02.2022 निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बासनी तहसील मुण्डावर द्वारा ग्राम साचोद की आराजी खसरा न0 192 रकबा 42.42 है0 किस्म गैर मुमकिन नदी में से 1.25 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त किये जाने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी मामन पुत्र देवकरण जाति गुर्जर निवासी साचोद तहसील मुण्डावर के विरूद्व दिनाक 03.02.2022 को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। जिस पर प्रकरण संख्या 65/2022 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनाक 25.02.2022 को अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती आरोपित/बेदखल व 3 माह के सिविल कारावास से दण्दित करने का आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी के विरूद्व धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 16.02.2022 को तलब किया गया लेकिन अतिक्रमी अनुपस्थित रहने के कारण पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में बयान पटवारी हल्का का उल्लेख किया गया है। सायल ने प्रकरण अर्धीन भूमि पर पुनः अतिक्रमण किया है, अतिक्रमी की पूर्व में भी धारा 91 के तहत कार्यवाही की गयी है। अपीलाण्ट आदतन अतिक्रमी है। जिसने पूर्व में भी पेनल्टी व फसल नीलामी की राशि जमा नहीं कराई गयी है। अतिक्रमी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे, हल्का पटवारी द्वारा पी–14 संम्वत 2078 फसल रबी की प्रमाणित प्रति पेश की है।

अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 29.08.2022 को शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि विवादित आराजी पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। जबकि मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनाक 19.04.2022 में अपीलान्ट का विवादित आराजी पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई उल्लेख नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.08.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)